




A New Ray Of hope




ANNUAL
REPORT

2015-2016

depressed community development foundation



A STEP TOWARDS FULFILMENT OF THE VISION AND MISSION OF DEPRESSED COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION OVERALL DEVELOPMENT OF THE SOCIETY.



**Reg office: Mohalla Syedwara Post Satti Masjid
City and District Ghazipur 233001
U.P India.**

Tel: 9305707160/ 8840646466/

Email- dcdfaamir1618@gmail.com

**MESSAGE
FROM**

**MANAGING
TRUSTEE**

DEPRESSED COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION is getting new heights day by day, year over year and approaching various parts across the country for social cause. The team of DCDF is working day & night, restlessly for accomplishing the purpose for which the organisation has been established. This year also, thousands of marginalised, vulnerable, deprived and disadvantaged people especially children, women & youth have been touched by the organisation. We have successfully run the programmes on women empowerment, health, gender sensitization, youth empowerment, during the year. The Foundation also provided services to the society with regard to vocational training, education, skill development, yoga & research, legal aid & counseling etc. from time to time the whole year.

Needless to say that my colleagues, team members, staff of DCDF, partners and other organisations associated with DCDF made it possible. Their co-operation, with regard to achieve the aim of the foundation, is appreciable. I am thankful to all of them for helping needy people keeping their personal comfort aside and thereby enhancement of shine of DCDF.

I, on behalf of DCDF, also extend sincere thanks and gratitude to all donors and sponsor for their generous support. We really value your association with us for socio- economic development of the society in need.

ABOUT THE ORGANISATION

Rooted in the belief that grass root development is the foundation for a bright and shining India, **DEPRESSED COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION** was born out of the determination and hard work of a dedicated team, willing to fight all odds and reach out to the needy and vulnerable sections of the society.

'Depressed Community Development Foundation' is a non-profit organization. It aims to build a society where the vulnerable, living on the fringes of the establishment, can become an integral part of the system and secure their future by getting equal opportunities. This organisation is committed to the welfare of youth, adolescents, children, women specially related to scheduled caste/tribe communities. It is functioning since May'2009 and registered in 2011 with registration No.24 Dated 26/04/2011. The organisation is working for social development through counseling, skill development cum training services, yoga awareness campaigns, promotion of sports and cultural activities, formation of community groups (SHGs/JLGs), self-employment projects and various other community related activities in collaboration with different Govt./Non-Govt. agencies like Nabard, Nehru Yuva Kendra, Unicef, Easy Naukari, Vodafone etc

PHILOSOPHY

Depressed Community Development Foundation believes in the contemporary context of community and social development which involves the development of people's capabilities as the core objective. It has been reiterated through various theories that the freedom to achieve well-being is of primary importance and the best way to understand that freedom is through making capabilities and real opportunities available to people to do and be anything that they attach value to. Therefore, DCDF has extended their reach into various requirements under multiple fields of a target group.

Periodic Progress Report

1- Basic information

Name of CSO : Depressed Community Development Foundation

Reporting Period : 1st April 2015 to 31st March, 2016

2- Brief Background of the project:-

हस्तक्षेपित क्षेत्र, प्रदेश का सबसे उपेक्षित एवं अत्यन्त पिछड़े जनपदों में से एक है। इस क्षेत्र से रोजगार की तलाश में काफी अधिक लोग पलायन करते हैं। दलित व वंचित समुदाय की महिलाएं घर के काम काज से समय निकालकर मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी करके घर परिवार की दैनिक आव यकताओं की पूर्ति करने में मदद करती हैं। क्षेत्र में महिलाओं के साथ परम्परागत तरीके से घर के फैसले करने या सामाजिक व राजनैतिक मुद्दों पर उनके साथ भेद-भाव किया जाता है। यद्यपि परिवार के अधिकांश काम वही करती है और परिवार को आगे बढ़ाने में उनका काफी योगदान होता है पर महिलाओं के विचारों को बहुत कम सुना व स्वीकार किया जाता है और उनके अधिकारों की अनदेखी की जाती है।

इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सूचकों की स्थिति दयनीय है जो विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। साक्षरता दर कम होने के कारण समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता की स्थिति भी खराब है। समुदाय के स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए जो क्षेत्र का बंटवारा किया गया है वह भी असमान है। इन सबके पीछे जो मुख्य कारण निकल कर आता है वह है स्वास्थ्य नियोजन में समुदाय की सहभागिता की कमी एवं एकतरफा नियोजन।

❖ भूमिका –


डिप्रेसड कम्युनिटी डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन, सैय्यदबाड़ा, सट्टी मस्जिद, गाजीपुर (उ०प्र०) में युवाओं, बुद्धिजीवियों तथा सामाजिक व्यक्तियों द्वारा गठित एक गैर राजनैतिक, गैर सरकारी व अलाभकारी स्वैच्छिक संगठन है जो इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

संस्था का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के स्तर में सुधार लाना एवं जागरूकता पैदा करना है। ग्रामीण गरीबों के विकास के लिये सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा गाँव स्तर तक उन योजनाओं को पहचानना। स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं पर्यावरण के विषय में जागरूक एवं शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना। अभावग्रस्त लोगों में चेतना पैदा करके उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उत्साहित करना। इसमें क्षेत्रिय पिछड़ेपन, गरीबी से संबंधित कृषि एवं स्वावलम्बी कृषि विकास, महिलाओं एवं पुरुषों को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान करने के लिए तथा बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान, कृषि विकास एवं वानिकी, युवा कल्याण नेतृत्व प्रशिक्षण तथा पुरुष व बच्चों के विकास के लिये अभियान का संचालन एवं उत्साहित करने के लिए गठन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम –



फाउण्डेशन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हुनर विकास के सन्दर्भ में सर्वे कराया गया तथा जो लड़कियाँ विद्यालय नहीं जा रही हैं या बीच में ही पढ़ाई किन्हीं कारणों वश छोड़ दी है। उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, एम्ब्रायडरी आदि के प्रशिक्षण हेतु प्रेरित किया गया तथा उन्हें उनकी रुचि के अनुसार उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्वेटर बुनाई, पैच वर्क में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे महिलाएँ अपने आर्थिक समस्याओं का निदान स्वयं करने में सक्षम हो जाय और गरीबी रेखा से ऊपर उठकर अपना विकास कर सकें।



हस्तकला कल्याण एवं विकास कार्यक्रम –



फाउण्डेशन के द्वारा हस्त शिल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरुषों/महिलाओं को हथकरघा उद्योग की जानकारी दी गयी एवं कटिंग, सेविंग, निटिंग एवं एम्ब्रायडरी मशीन से संबंधित जानकारिया एवं प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 48 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं किशोरियों की जागरूकता के बाद रोजगार करने के लिए महिलाओं के रुचि के अनुसार उन्हें हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वाल हैंगिंग, कैंडिल मेंकिंग, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, डोर मैट, आशनी इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें महिलाएँ/पुरुष अपने आर्थिक समस्याओं का निदान स्वयं करने में सक्षम हो जाय और गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर स्वयं के विकास के साथ ही राष्ट्र का विकास कर सकें।



महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं बाल विकास कार्यक्रम –


सामाजिक संरचना में नारी की भूमिका न केवल बच्चों के विकास के लिये उत्तरदायी है बल्कि वह वैयक्तिक, सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ महिलाएँ अपनी उत्कृष्ट भूमिका नहीं निभा रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा दलित तथा पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों तथा बच्चों के विकास के लिए संस्था द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें कई गावों में बच्चे एवं महिलाओं को बताया गया कि समाज की स्थिति जानने के लिये उन्हें शिक्षित होना अति आवश्यक है। बिना शिक्षित हुए महिलाएँ अपना पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास नहीं कर सकती हैं। महिलाएँ हर स्तर के सोशण का शिकार होती रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है इसलिये सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष करने के लिये शिक्षित होना जरूरी है तभी दलित व पिछड़े समुदाय का विकास संभव है। इसके साथ ही उपरोक्त कार्यक्रम के माध्यम से समाज में समरसता प्राप्त करने एवं मौलिक अधिकारों के साथ ही साथ कन्या भ्रूण हत्या तथा नारी उत्पीड़न आदि विशयों पर भी जागरूक किया गया।






उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम –


फाउण्डेशन द्वारा विकास खण्ड: बिरनों में कार्यशाला व गोष्ठी के माध्यम से व्यापारियों द्वारा ग्राहकों को मिलावटी सामानों तथा प्रिन्टेड मूल्य से अधिक रूपये वसूलने तथा वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी के खिलाफ बताया गया तथा उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन किये गये जिसमें 62 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। स्थानीय लोगों के अतिरिक्त जन प्रतिनिधियों में भी अपनी सहभागिता निभायी तथा संस्था द्वारा कन्ज्यूमर्स एवरनेस कम्पेन प्रोग्राम हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार को भी भेजा गया है।





शिक्षा कार्यक्रम –

फाउण्डेशन द्वारा वर्तमान में शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जनपद—गाजीपुर में सम्पादित की गयी। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की निरन्तरता बनाये रखने के उद्देश्य से विकास खण्ड—मनहारी में 15—18 वर्ष के पुरुष/महिलाएँ जो निरक्षर थी सर्वे कराकर नव वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर साक्षर बनाने हेतु संस्था द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। संस्था विकलांगों को समुचित विकास करने हेतु विकलांग स्कूल खोलने की भी योजना बना रही है।






इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड— मनीहारी के अत्यन्त पिछड़े एवं गरीब युवक — युवतियों को संस्था द्वारा 28 लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग देकर संस्था द्वारा स्वयं कम्प्यूटर ट्रेनिंग दिलवायी गयी।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम -


आज के युग में पर्यावरण का कितना महत्व हो गया है। यह एक विचारणीय विषय है। जब-जब पर्यावरण प्रभावित हुआ है उसका प्रभाव मानव ही नहीं, पशु, पक्षी एवं अन्य जीव जन्तुओं को प्रभावित किया है। विकास खण्ड- बिरनों के जंगीपुर कृषि मण्डी में जागरूकता कैम्प का आयोजन कर बैलगाड़ियों तथा इक्के पर अधिक बोझ न लादने के लिये पशु क्रूरता के बारे में जानकारी दी गयी और उन्हें बताया गया कि मानव के समान पशु ही पशु होता है इसलिये क्षमता के अनुसार ही आप लोग इस पर सामान लादे साथ ही पशु कल्याण बोर्ड के प्रान्तीय प्रशिक्षक ने उनके स्वास्थ्य का भी चेकअप किया और उनको अवगत कराया।



फाउण्डेशन के द्वारा पर्यावरण को भुद्ध करने वाले पक्षियों जैसे गिद्ध एवं जीवों में कछुओं और जंगली पक्षियों में मोर आदि जैसे निरीह जंगली जानवरों का सर्वेक्षण अपने स्वयंसेवकों के द्वारा गाजीपुर जनपद में स्थित गोमती के कछार और गंग बरारों में स्थित झाड़ियों आदि में विधिवत् ढग से सम्पन्न कराया है। इसके साथ ही पालतू जानवरों जैसे- कुत्तों, बिल्ली, बन्दर, मैना, तोता आदि पर अमानवीय कृत्यों को रोकने हेतु इनके पालकों को मानवीय संवेदनाओं का पाठ पढ़ाने का कार्य अपने स्वयं सेवकों के द्वारा सम्पन्न कराया है। इतना ही नहीं विभिन्न स्थानों पर कुत्तों व बन्दों के काटने से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिये एण्टी रैबीज कैम्पों का भी आयोजन कराया गया। साथ ही वृक्षारोपण हेतु लोगों को जागरूक किया गया।

ग्रामीण एवं कृषि विकास कार्यक्रम –

फाउण्डेशन द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में अन्तर्गत किसानों को फसलों के उत्पादन में वृद्धि एवं खेत की उर्वरक भाक्ति को बनाये रखने के लिये जगह-जगह पर वर्मी कम्पोस्ट के बारे में विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी देते हुए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत किसानों को केंचुओं की उपलब्धता और उपयोगिता पर चर्चा करते हुए अनेकों किसानों को इसके लाभ से लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण किसानों को संस्था द्वारा जगह-जगह शिविर का आयोजन कर किसानों को उन्नत ढंग से कम लागत में कृषि को बढ़ावा देने का सुझाव उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञों द्वारा ग्राम – सरैया में दिया गया साथ ही औषधीय खेती जैसे – तुलसी, आंवला, मेंहदी, पिपरमेन्ट आदि की खेती कर अधिक से अधिक आर्थिक रूप से आय सृजन करने की विधियों से अवगत कराया गया।




स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम (एड्स जागरूकता, पल्स पोलियो आदि कार्यक्रम)–

कम अवस्था में गर्भवती हो जाने से महिलाओं में जागरूकता की कमी के कारण उनका शारीरिक विकास सही ढंग से न होने के कारण अल्प आयु में गर्भ ग्रहण करना महिलाओं के लिये अत्यन्त घातक एवं होने वाले बच्चे बिल्कुल कमजोर व रोगी होने का भय रहता है। इस परिवेश में उनके जीवन रक्षार्थ संस्था डाक्टर की सलाह लेने की जरूरत पर बल देते हुए उन्हें पोष्टिक आहार लेने एवं संयम बरतने की बात बतायी। गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका भी लगाया गया एवं बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति काफी जानकारी डाक्टरों के माध्यम से संस्था द्वारा समय-समय पर चेकअप कराया जाता है। बच्चों को नाखून काटने के लिए प्रेरित किया गया तथा इससे होने वाली बीमारियों के संबंध में भी बताया गया जिसमें बच्चों को डी0पी0टी0, बी0सी0जी0, पोलियो खुराक तथा विटामिन 'ए' की खुराक भी दी गयी।



फाउण्डेशन द्वारा नुक्कड़ रैली के माध्यम से पल्स पोलियो जैसे खतरनाक बीमारियों पी-1, पी-2, व पी-3 वायरस के संबंध में जानकारी दिया गया एवं उनको टीकाकरण कराने के लिये प्रोत्साहित करना तथा टीकाकरण के सुनिश्चित दिनांक पर डाक्टरों को ले जाकर गांवों में बच्चों को टीका लगवाना। साथ ही साथ उनके अभिभावकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना, जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिये चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत सट्टी मस्जिद, सैय्यदबाड़ा व मियापुराँ, बरबरहना आदि स्थानों पर बच्चों को एक्स एवं एक्स बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाया गया।



एड्स जैसे जानलेवा बीमारी से बचने के लिये संस्था द्वारा गांवों एवं कस्बों में जगह-जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को इस बीमारी से संबंधित जानकारी दी गयी एवं उसके बचाव के विभिन्न तरीकों/उपयों को अपनाकर एड्स के रोकथाम की जानकारी दी गयी। इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने प्रतिभाग किया एवं कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। साथ ही विशेष तौर से इस बात पर बल दिया गया कि एड्स की रोकथाम जागरूकता से ही संभव है न कि उपचार से।


विकलांग कल्याण कार्यक्रम -

फाउण्डेशन द्वारा अंध/मूक/बधिर विकलांगों के लिये शिक्षा व उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से गरीब महिलाओं व बच्चों को लाभान्वित करती आ रही है। संस्था अपने कार्यकर्ता सहित पल्स पोलियों अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है साथ ही परिवार स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति भी लोगों को उत्साहित व जागरूक करने का कार्य कर रही है।



नाबार्ड एस०एच०जी० -

फाउण्डेशन नाबार्ड के जे०एल०जी० योजना पर कार्य कर रही है जिसमें 10 से 12 लोगों का समुह बनाना



आपस में बचत लेन-देन और बैंक से लिंकेज कराने का कार्य कर रही है।



घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 जागरूकता कार्यक्रम -

फाउण्डेशन द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम - 2005 पर सदर विकास खण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों, ग्राम प्रचायत - रसूलपुर कन्धवारा, बिराईच, बीकापुर, चक अब्दुल सत्तार, महुआरी इत्यादि ग्राम पंचायतों में अलग-अलग महिलाओं के साथ बैठकें आयोजित की गयी जिसमें सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों को मिलाकर 67 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में विस्तृत जानकारी श्री रामजी लाल श्रीवास्तव द्वारा प्रदान की गयी। इन्होंने बतलाया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत घरेलू

हिंसा से उत्पीड़ित कोई भी महिला अपना प्रत्यावेदन संबंधित कार्यालय/अधिकारी को प्रस्तुत कर अपना विवाद प्रस्तुत कर सकती है।

